P.G.S NATIONAL COLLEGE OF LAW,MATHURA

Arbitration and Conciliation Act, 1996 Unit-2

माध्यस्थम विधि

प्रश्न १ माध्यस्थमपंचाट के प्रारूप तथा विषय वस्तु कि विवेचना किजियेमाध्यस्थमपंचाट में भूल सुधार कैसे किय जा सकता है

उत्तर १**परिनिर्धारण (समझौता/Settlement)-**माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम की धारा 30 UNCITRAL के आदर्श विधि के अनुच्छेद 30 पर आधारित है। इसके अन्तर्गतमाध्यस्थम् अधिकरण को अधिकृत किया गया है कि पक्षकारों के विवाद को उनके आपसी सहमति के आधार पर निर्णय करके पंचाट को तैयार करे। परिनिर्धारण का प्रसंग उपबन्धित करके माध्यस्थम्पंचाट को सन्तुलित , सार्थक एवं शीघ्र विवाद निस्तारण की अनुकल्पी व्यवस्था के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया। इसमें माध्यस्थम् की कार्यवाही पक्षकारों के लिये अत्यधिक तुष्टिकर होती है। सुलह और समझौता में भ्रम नहीं करना चाहिये। धारा 30 में वर्णित समझौता या परिनिर्धारण का स्वरूप इस अधिनियम के तृतीय भाग में उपबन्धित सुलह (Conciliation) में भिन्नता होती है। इसकी समीक्षा आगे की गयी है। जब माध्यस्थम् की कार्यवाही के दौरान पक्षकारगण अपने विवाद का निपटारा करने का मार्ग ढूढ़ लेते हैं , तो पक्षकारों द्वाराविनिश्चित एवं परिनिर्धारित शर्त को पंचाट का आधार बना दिया जाता है। इस प्रकार के पंचाट का वही महत्व है , जो माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा स्वतन्त्र रूप से दिये गये पंचाट का होता है।

माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम की धारा 30 की चार उपधारायें हैं। प्रथम उपधारा में परिनिर्धारण को प्रोत्साहित करने तथा माध्यस्थम्पंचाट उस पर आधारित करने के लिये उपबन्धित किया गया है। "इस व्यवस्था की तुलना न्यायालयों के उस प्रक्रिया से की जा सकती है , जिसमें आधुनिक न्यायालयों को अधिक से अधिक लोक अदालतों के गठन द्वारा वाद निस्तारण किया जाना चाहिये। ' यह स्पष्ट है कि न्यायालय या निर्णायक विवाद के विसर्जन में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम होते हैं। जब पक्षकारों के आपसी रजामन्दी या सहमति से परिनिर्धारण द्वारा पंचाट तैयार किया जायेगा , तो

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

उसे सम्मत शर्तों पर दिया गया पंचाट (Arbitral award on agreed terms) कहा जायेगा। इस प्रकार के सम्मत शर्तों को माध्यस्थम् करार के प्रतिकूल नहीं समझा जायेगा।

दूसरे उपधारा में यह प्रावधान किया गया है कि समझौता द्वारा विवाद का हल निकल जाने पर पक्षकार एवं माध्यस्थम् अधिकरण की कार्यवाहियों को समाप्त कर देंगे। ऐसा करने के लिये पक्षकारों के द्वारा अनुरोध किया जाना चाहिये तथा माध्यस्थम् कार्यवाही को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं होता। अधिकरण द्वारा परिनिर्धारण की शर्तों पर पंचाट को लेखबद्ध कर दिया जायेगा।

उपधारा (3) में यह उपबन्धित किया गया है कि परिनिर्धारण पर आधारित पंचाट को भी उसी प्रकार प्रारूपित किया जाना चाहिये जिस प्रकार किसी स्वतन्त्र रूप से दिये पंचाट को प्रारूपित किया जाता है। परिनिर्धाण पर आधारित सम्मत पंचाटपक्षकारों के स्वनिर्धारित शर्तों पर ही दिया जाता है , किन्तु उसके प्रमुख अंग इस अधिनियम की धारा 31 में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिये। अन्तर केवल यह होगा कि अधिकरण को सकारण पंचाट देने की उपधारणा शिथिल हो जायेगी। इसीलियेपरिनिर्धारण पर आधारित पंचाट को सम्मतं शर्तों पर दिया गया पंचाट कहा जाता है।

परिनिर्धारण करार-धारा 30 में वर्णित परिनिर्धारण, पंचाट एवं अन्य परिनिर्धारण करार के मध्य अन्तर किया जा सकता है। जब माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा सहमत शर्तों पर पंचाट तैयार करके लिपिबद्ध करके इस अधिनियम की धारा 31 के अनुरूप हस्ताक्षरित कर दिया जाता है तो इसे परिनिर्धारणपंचाट कहा जायेगा। परन्तु यदि सुलह द्वारा पक्षकारों ने अपने विवाद का परिनिर्धारण या समझौता कर लिया हो लेकिन उसे पंचाट के रूप में लिपिबद्धकिये जाने हेतु माध्यस्थों से अनुरोध न किया गया हो, तो उसे मात्र परिनिर्धारण करार (Settlement Agreement) माना जायेगा , जिसका प्रसंग इसी अधिनियम की धारा 73 में किया गया है। धारा 30 और धारा 73 के प्रावधान में

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

अन्तर यह है कि धारा 30 में कार्यवाही माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष की जाती है और धारा 73 की कार्यवाही में परिनिर्धारणसुलहकर्ता द्वारा की जाती है (By conciliator)।

परिनिर्धारण में माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा आपत्ति- माध्यस्थम् अधिकरण की धारा 30 के उपधारा (1) के अनुसार परिनिर्धारण को प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है ताकि अधिकरण के समय की बचत हो और पक्षकारों में स्थायी समरसता का संचार हो। तथापि उपधारा (2) के अन्तर्गतपरिनिर्धारण के निवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत का विकल्प भी न्यायाधिकरण के विवेकाधीन प्रावधानित है। ऐसा इसलिये है ताकि परिनिर्धारण की परिधि माध्यस्थम् करार व निर्देशन के परिधि के भीतर हो। यदि परिनिर्धारण की शर्तों में माध्यस्थम् करार की शर्तों का उल्लंघन या अतिक्रमण होता है, तो उस दशा में अधिकरण द्वारा परिनिर्धारण पर आपत्ति किया जाना स्वाभाविक है। मध्यस्थों को प्रत्येक परिनिर्धारण की शर्तों पर पंचाट देने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता। जब कोई पक्षकारपरिनिर्धारण या समझौता पर आधारित पंचाट पाने का निवेदन करता हो, तो अधिकरण उसकी प्रासंगिकता एवं वैधता पर विचार करने के लिये पूर्णत: अधिकृत है

माध्यस्थम्पंचाट का प्ररूप एवं अन्तर्वस्तु-

(1) माध्यस्थम्पंचाट लिखित होगा और माध्यस्थम् अधिकरणके सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, एक माध्यस्थम् के अधिक माध्यस्थम् कार्यवाही में, माध्यस्थम् अधिकरण के सभी सदस्यों के बहुमत का हस्ताक्षर जितने समय यह पर्याप्त होगा, उतने समय तक हस्ताक्षर के किसी कारितकिये गये लोप के कारण का विवरण प्रस्तुत किया जाता है।

(3) माध्यस्थम्पंचाट उन कारणों का विवरण प्रस्तुत करेगा जिन पर यह आधारित है कि, जब तक

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

(क) पक्षकारगण यह करार नहीं कर चुके होते कि कोई भी कारण प्रस्तुत नहीं किये जाने हैं ;या

(ख) 'पंचाट धारा 30 के अधीन शर्तों पर किया गया करार एक माध्यस्थम्पंचाटं है।

(4) माध्यस्थम्पंचाट धारा 20 के अनुसार अवधारित किये गये माध्यस्थम् के स्थान तथा इसकी तिथि का कथन करेगा और उसी स्थान पर बनाया गया समझा जायेगा।

(5) माध्यस्थम्पंचाट के बनाये जाने के पश्चात्, एक हस्ताक्षरित प्रतिलिपि का परिदान प्रत्येक पक्षकार को किया जायेगा।

(6) माध्यस्थम्पंचाट, माध्यस्थम् कार्यवाही के दौरान किसी भी समय किसी भी ऐसे मुद्दे पर एक अंतरिम माध्यस्थम् का निर्माण कर सकेगा जिसके सन्दर्भ में यह एक अंतिम पंचाट प्रस्तुत कर सकेगा।

(7) (क) जब तक पक्षकारों में अन्यथा करार नहीं होता , तब तक जहाँ और जहाँ तक एक माध्यस्थम्पंचाट के धन का संदाय करने का सम्बन्ध है , वहाँ माध्यस्थम् अधिकरण उस धनराशि में सम्मिलित कर सकेगा जिसके लिये पंचाट बनाया जाता है , ब्याज ऐसी दर पर जिसे यह युक्तियुक्त समझता है , उन तिथियों के बीच की कालावधि के पूरी या किसी भाग के लिये, धन के संपूर्ण या किसी भाग पर, जिस पर वाद हेतुकसदभूत और तिथि जिस पर पंचाट बनाया जाता है।

पंचाट और अतिरिक्त पंचाट के संशोधन और निर्वचन-(1) माध्यस्थम्पंचाट की प्रासि से तीस दिनों के भीतर जब तक समय की एक दूसरी कालावधि पर पक्षकारों द्वारा सहमति व्यक्त की जा चुकी

(क) दूसरे पक्षकारों को नोटिस के साथ, एक पक्षकार, पंचाट में होने वाली संगणनात्मक त्रुटियों कोलिपिकीय या टंकण या टाइपिंग सम्बन्धी त्रुटियों या इसी के समान की कोई दूसरी त्रुटियों कोसंशोधित करने के लिये अनुरोध कर सकेगा। (ख) यदि पक्षकारों के बीच इस प्रकार का करार हो जाता है, तो एक पक्षकार, दूसरे पक्षकार को नोटिस

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

के साथ एक विनिर्दिष्ट बिन्दु या पंचाट के एक भाग का निर्वचन प्रस्तुत करने के लिये माध्यस्थम्अधिकरण से निवेदन कर सकेगा।

(2) यदि माध्यस्थम् अधिकरण उपधारा (1) के अधीन किये गये निवेदन को न्यायोचित होना मानता है, तो यह माध्यस्थम्पंचाट के निवेदन की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर संशोधन करेगा या निर्वचन करेगा और निर्वचनमाध्यस्थम्पंचाट का एक भाग होगा। ____

(3) माध्यस्थम् अधिकरण, माध्यस्थम्पंचाट की तिथि से तीस दिनों के भीतर स्व-प्रेरणा पर उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्देशित किये गये टंकण की किसी त्रुटि को संशोधित कर सकेगा।

(4) जब तक पक्षकारों में अन्यथा करार नहीं होता, तब तक एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को एक नोटिस के साथ माध्यस्थम्पंचाट से छोड़े गये बल्कि माध्यस्थम् कार्यवाही में प्रस्तुत किये गये दावों के बारे में एक अतिरिक्त माध्यस्थम्पंचाट बनाने के लिये माध्यस्थम् अधिकरण से, माध्यस्थम्पंचाट को प्रस्तुत से तीस दिनों के भीतर निवेदन कर सकेगा।

(5) यदि माध्यस्थम् अधिकरण , उपधारा (4) के अधीन किये गये निवेदन को न्यायोचित होना मानता है , तो ऐसे निवेदन की प्राप्ति से तीन दिनों के भीतर अतिरिक्त माध्यस्थम् को बनायेगा।

(6) माध्यस्थम् अधिकरण यदि आवश्यक हो , तो उस समय का विस्तार कर सकेगा जिसके भीतर यह उपधारा (2) या उपधारा (5) के भीतर एक संशोधन करेगा, या एक निर्वचन करेगा या एक अतिरिक्त माध्यस्थम्पंचाट बनायेगा।

(7) धारा 31 इस धारा के अधीन बनाये गये एक अतिरिक्त माध्यस्थम् अधिकरण को या माध्यस्थम्पंचाट के संशोधन या एक निर्वचन के प्रति लागू होगी।

पंचाट का संशोधन और निर्वचन एवं अतिरिक्त पंचाट का प्रावधान-

अन्तर्राष्ट्रीयवाणिज्यिकमाध्यस्थम् विधि आयोग (UNCITRAL) द्वारा प्रस्तुत आदर्श

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

विधि के अन्तर्गतमाध्यस्थम् विधि के कलेवर को अधिक सशक्त एवं समीचीन बनाने का प्रयास किया गया। माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा किसी पंचाट के निर्वचन का अधिकार पूर्ववर्ती माध्यस्थम् अधिनियम , 1940 में नहीं था। किन्तु इस धारा 33 में माध्यस्थम् अधिकरण को प्राधिकृत किया गया है कि पंचाट प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर अथवा पक्षकारों द्वारा निर्धारित अन्य कालावधि के भीतर नोटिस भेजकर दूसरे पक्षकार को सूचित करते हुये अधिकरण से त्रुटियों के संशोधन के लिये अनुरोध कर सकेगा। यदि पंचाट की भाषा भ्रमात्मक हो तो उस दशा में पंचाट के निर्वचन या व्याख्या के लिये भी अधिकरण को निवेदन किया जा सकता है तथा इसी क्रम में यदि आवश्यक होगा तो अतिरिक्त पंचाट द्वारा सन्दर्भित दावे में यदि कोई बात छूट गयी हो तो उसे भी निर्णीत कराया जा सकता है। पंचाट के अन्तर्गत त्रुटि को अधिकरण द्वारा स्वप्रेरणा (Suo moto) से भी दूर किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि संशोधन, निर्वचन अथवा अतिरिक्त पंचाट के निमित्त दूसरे पक्षकार को सूचना प्रेषित करना आवश्यक है। जब धारा 33 के अन्तर्गत अधिकरण द्वारा पंचाट का संशोधन या व्याख्या की जायेगी अथवा कोई अतिरिक्त पंचाट दिया जायेगा तो उस समय धारा 31 में वांछित पंचाट के आवश्यक तत्वों की अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखा जायेगा। इस बात पर भी ध्यान दिया जायेगा कि लिपिकीय त्रुटियों में संशोधन की कार्यवाही द्वारा ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाये जो माध्यस्थम् करार या निर्देशन की परिधि का उल्लंघन करके पक्षकारों के हितों को प्रभावित करे अर्थात् केवल ऐसी ही त्रुटियों का संशोधन धारा 33 (1) में किया जायेगा जो लिपिकीय त्रुटि की परिधि में समाविष्ट हो। दीप नारायण सिंह बनाम परमेश्वर के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया है कि लिपिकीय त्रुटि को संशोधन करने के बहाने माध्यस्थमपंचाट को परिवर्तित करने के लिये मध्यस्थ सक्षम नहीं है।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

प्रश्न २ एक पंचाटकौ निरस्त करने का क्या आधार है विवेचना किजिये

उत्तर २**विवादों के उपादान पर लागू नियम-**

(1) जहां माध्यस्थम् का स्थान भारत में स्थित है, वहाँ

(क) एक अन्तर्राष्ट्रीयवाणिज्यिकमाध्यस्थम् से भिन्न एक माध्यस्थम् में , माध्यस्थम् अधिकरण

भारत में अधिष्ठायी विधि के अनुसार माध्यस्थम् के समक्ष प्रस्तुत किये गये विवाद का

विनिश्चय करेगा ; (ख) अन्तर्राष्ट्रीयवाणिज्यिकमाध्यस्थम् में(i) माध्यस्थम् अधिकरण विवाद के सार पर लागू होने के रूप में पक्षकारों द्वारा नाम निर्दिष्ट

विधि के नियम के अनुसार विनिश्चय करेगा ; विधि के पक्षकारों के द्वारा किसी नाम निर्देशन या दिये गये देश की विधिक प्रणाली का अर्थान्वयन जब तक अन्यथा अभिव्यक्त नहीं किया जाता, तब उस देश के अधिष्ठायी विधि को निर्देशित प्रत्यक्षत: निर्देशित करने के रूप में किया जायेगा और न कि इसके विधायी

नियमों के स्वयमेव के संघर्ष का। (iii) पक्षकारों के द्वारा खण्ड (क) के अधीन विधि का किसी पदनाम के असफल हो जाने पर यह

विवाद की प्रस्तुत की गयी सभी चतुर्दिक परिस्थितियों का समुचित होना मानता है।
(2) माध्यस्थम् अधिक। स्वेच्छया या सद्भावपूर्वक सुलहकर्ता की तरह (Ex aequo et bono or as amiahecompositeur) मामले का विनिश्चय मात्र तभी करेगा यदि पक्षकारगण वैसा करने के लिये इसे अभि तौर पर अधिकृत कर चुके हैं।

(3) सभी मामलों में , माध्यस्थम् अधिकरण, संविदा की शर्तों के अनुसार विनिश्चय करेगा और संव्यवहार पर लागू हाने वाले व्यवसाय की रीति को ध्यान देने में रखेगा)

अधिनियम के परिभाषा खण्ड में पंचाट शब्द की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं दी गयी है। केवल पंचाट के अन्तर्गतअन्तरिमपंचाट को समाविष्ट करने का निर्देश मात्र इंगित किया गया है। सामान्य अर्थ में पंचाट से तात्पर्य माध्यस्थम् अधिकरण के अन्तिम

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

विनिश्चय या निर्माण से होता है। नये अधिनियम में पंचाट की महत्ता को और अधिक बढ़ा कर न्यायालय की डिक्री की भाँति प्रवर्तनीय बना दिया गया है। इसलिये यह आवश्यक है कि पंचाट अपने आप में निश्चयात्मक एवं परिपूर्ण रूप से प्रारूपित किया जाये। पूर्ववर्ती (निरसित) अधिनियम 1940 की धारा 14 में पंचाट की प्रारूपित करने के लिये मध्यस्थों और निर्णायकों द्वारा हस्ताक्षरित विनिश्चय का आधार तैयार करके , न्यायालय द्वारा अन्तिम रूप से फैसला करने का आधार पटल तैयार किया जाता था , किन्तु नयेमाध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम के अन्तर्गतपंचाट को प्रवर्तित करने के लिये न्यायालय के सर्वेक्षण एवं मुद्रित किये जाने की आवश्यकता नहीं रह गयी है। इसीलिये अब पंचाट के कलेवर को सकारण एवं परिपूर्ण बनाने का प्रस्ताव किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीयवाणिज्यिक विधि आयोग के आदर्श विधि के अनुच्छेद 31 के सामानान्तर भारतीय माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम की धारा 31 की उपधारा एक से पाँच तक को उपबन्धित किया गया है। सारांश में पंचाट लिखित एवं मध्यस्थों द्वारा हस्ताक्षरित, सकारण होना चाहिये तथा उस पर स्थान व तिथि का उल्लेख किया जाना चाहिये और पक्षकारों को प्रतिलिपि प्रदान किया जाना चाहिये। मध्यस्थों को पंचाट में पक्षकारों द्वारा देय खर्च एवं ब्याज का उल्लेख भी किया जाना चाहिये।

यह उल्लेखनीय है कि निरसित माध्यस्थम् अधिनियम 1940 के अन्तर्गतमौखिकपंचाट भी दे सकता था और बाद में मध्यस्थ या अधिनिर्णायक (Umpire) हस्ताक्षर कर देता था, अर्थात् पंचाट का अभिलिखित होना विशेष रूप से अनिवार्य नहीं था कि इस नयेमाध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 31 (1) अनिवार्यतः लिखित एवं माध्यस्थम् अधिकरण के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये। कोई भी पंचाट किसी निर्धारित प्रारूप में उल्लिखित करना अनिवार्य नहीं है परन्तु धारा 31 में निर्धारित शर्तों का अनुपालन आवश्यक है। सुबाषप्रोजेक्ट्सऐण्डमार्केटिंग लि० बनाम आसाम अर्बनवाटर सप्लाई एण्डसीवरेज बोर्ड के मामले में गौहाटी उच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया है कि कोई भी पंचाट इसलिये अवैध नहीं होगा कि वह किसी निर्धारित प्रारूप में नहीं दिया गया है।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

(i) पंचाट लिखित होना चाहिये-माध्यस्थम् अधिनियम 1940 की धारा 14 (1) में पंचाट की वैधता के लिये मध्यस्थों द्वारा हस्ताक्षरित होने का प्रावधान किया गया था, जो आज्ञापक रूप से उपबन्धित किया गया था। माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 31 में पंचाट को हस्ताक्षरित और लिखित होने की भाषा प्रयुक्त हुयी है। पुराने अधिनियम में लिखित शब्द का लोप था, तथापि हस्ताक्षरित होने के लिये लिखित होना विवक्षित रूप से आवश्यक था। दोनों नये व पुराने अधिनियमों में मौखिकपंचाट की व्यवस्था को नकार दिया गया। सन् 1940 के पूर्व मौखिकपंचाट को भी ग्राह्यता प्रदान की गयी थी। फतेह मो० बनाम अमरनाथ के वाद में न्यायमूर्ति दलीप सिंह ने माध्यस्थम् अधिनियम 1940 की धारा 14 (1) सन्दर्भ में यह टिप्पणी ठीक ही किया था कि मौखिकपंचाट को किस प्रकार हस्ताक्षरित किया जायेगा? इसलिये माध्यस्थम् अधिनियम 1940 के अन्तर्गत भी मौखिकपंचाट के मान्यता की कोई सम्भावना नहीं थी। ओ० पी० वर्मा बनाम बिहारी लाल के वाद में यह भी सम्प्रेक्षित किया गया था कि किसी चेक या विलेख के बदले में मौखिकपंचाट का प्रतिफल वैध नहीं माना जायेगा।

(क) क्या पंचाट पर पक्षकारों का भी हस्ताक्षर आवश्यक है?

धारा 31 की उपधारा (2) में पंचाट की वैधता हेतु मध्यस्थों के हस्ताक्षर का प्रावधान किया गया है। उसमें पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षर किये जाने का उल्लेख नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की मंशा यह नहीं है कि पंचाट पर पक्षकारों का अनिवार्यतः हस्ताक्षर प्राप्त किया जाये। किसी भी निर्णय पर निर्णायक के हस्ताक्षर का महत्व होता है, पक्षकारों को निर्णय से अवगत कराने के लिये उनका भी हस्ताक्षर कराया जा सकता है, किन्तु यदि कोई पक्षकार उस पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दे तो पंचाट को दूषित नहीं समझा जायेगा। पंचाट पर पक्षकारों के सहमति (Consent) की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई समझौता या सुलहनामा का प्रपत्र तैयार होता है, तो उस पर प्रभावित होने वाले पक्षकारों का हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य होता है। उदाहरण के लिये यदि धारा 30 में वर्णित. 'परिनिर्धारण' पंचाट है तो उस समय समझौता पत्र पर

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

दोनों पक्षकारों का हस्ताक्षर करना स्वाभाविक एवं आवश्यक है। किन्तु किसी पंचाट पर पक्षकारों के हस्ताक्षर करने मात्र से उसकी सहमति का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। उसका उद्देश्य केवल उसे संसूचित करने के लिये माना जायेगा न कि पंचाट पर सहमति प्राप्त करने के लिये ,पंचाट की वैधता व बाध्यता के लिये पक्षकारों के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती।

34. माध्यस्थम्पंचाट को अपास्त करने के लिये आवेदन-पत्र-(1) एक माध्यस्थम्पंचाट के विरुद्ध एक न्यायालय का अवलम्ब उपधारा (2) और उपधारा (3) के अनुसार इस प्रकार के पंचाट को अपास्त करने के लिये केवल एक आवेदन-पत्र द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। (2) एक माध्यस्थम्पंचाट को न्यायालय द्वारा केवल तभी अपास्त किया जा सकेगा , यदि(क) आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने वाला पक्षकार इस सबूत की आपूर्ति करता है, कि(i) एक पक्षकार किसी असमर्थता के अधीन था ; (ii) माध्यस्थम् करार, उस विधि के अधीन विधिमान्य नहीं है जिसके पक्षकार इसके विषय बन

गये हैं, या तत्समय प्रवृत्त होने वाली विधि के अधीन उस पर किसी उपदर्शन के असफल हो

जाने पर; या (iii) आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को एक मध्यस्थ की नियुक्ति या माध्यस्थम् कार्यवाही

की उचित नोटिस दी गयी थी , या अन्यथा उसके मामले को प्रस्तुत करने में असमर्थ हो गया;

या (iv) माध्यस्थम्पंचाट, माध्यस्थम् की शर्तों के भीतर न असफल होकर या न अनुध्यातकिये गये

विवाद के साथ संव्यवहार करता है या वह माध्यस्थम् के निवेदन के विस्तार के परे मामले

पर विनिश्चयों को अन्तर्विष्ट करता है; परन्तु, यदि माध्यस्थम् को निवेदित किये गये मामलों पर विनिश्चय, केवल इस प्रकार से प्रस्तुत न किये गये उन सभी निवेदनों से

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

पृथक् किया जा सकता है, तो उस माध्यस्थम्पंचाट का वह भाग जो माध्यस्थम् को न भेजे गये मामलों पर विनिश्चय को अन्तर्विष्ट करता है , कि अपास्त किया जा सकेगा; या

(v) माध्यस्थम् अधिकरण या माध्यस्थम् प्रक्रिया की संरचना पक्षकारों के अनुसार नहीं था, जब

तक ऐसा करार इस भाग के प्रावधान के विरुद्ध था जिससे पक्षकारगण अल्पीकरण नहीं कर

सकता है, या ऐसे करार का असफल हो जाना इस प्रावधान के अनुसार नहीं था ; या (ख) न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है , कि(i) विवाद की विषय-वस्तु तत्समय प्रवृत्त होने वाली विधि के अधीन, निपटारा करने की

सामर्थ्य नहीं होती है; या | (ii) माध्यस्थम्पंचाट भारत की लोक-नीति के विरुद्ध है। - स्पष्टीकरण-उपखण्ड (ii) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ही यह एतद्द्वारा किसी भी सन्देह को दूर करने के लिये घोषणा की जाती है कि एक पंचाट लोक-नीति के विरुद्ध है यदि पंचाट का बनाना कपट या भ्रष्टाचार द्वारा उत्प्रेरित या प्रभावित किया गया या धारा 75 या धारा 81 के उल्लंघन में था।

(3) अपास्त करने के लिये एक आवेदन-पत्र को उस तिथि से तीन महीने व्यतीत हो जाने के पश्चात् पारित नहीं किया जा सकेगा जिस पर उस आवेदन-पत्र को प्रस्तुत करने वाला पक्षकारमाध्यस्थम्पंचाट को प्राप्त कर चुका था या यदि एक अनुरोध , उस तिथि से धारा 33 के अधीन किया जा चुका था जिस पर माध्यस्थम्पंचाट द्वारा अनुरोध का निस्तारण किया जा चुका था

माध्यस्थम्पंचाट के विरुद्ध अवलम्ब (Recourse Against Arbitral Tribunal)माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम के अध्याय 7 का शीर्षक यह इंगित करता है कि माध्यस्थम्पंचाट के निर्णय से क्षुब्ध पक्षकार इस अधिनियम की परिधि में उपचार या अवलम्ब या सहायता की याचना कर सकता है। सामान्य रूप से माध्यस्थम्

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

करार के द्वारा पारम्परिक न्यायालयों की न्यायिक प्रक्रिया को अपवर्जित किया जाता है। माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़कर पुराने अधिनियमित व्यवस्था से हटकर न्यायालयीन हस्तक्षेप को और भी न्यून कर देता है। पारम्परिक न्यायालयों की प्रक्रिया विधि के समान अपील , पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन आदि की व्यवस्थायेंमाध्यस्थम् विधि में सीमित हो जाती है। नये अधिनियम की नयीव्यवस्था के अन्तर्गतमध्यस्थों एवं पंचाटों को विधिक कलेवर से अलंकृत कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के अन्तर्गतमध्यस्थों की नियुक्ति में उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय की भूमिका को समन्वित किया गया है तो दूसरी ओर पंचाट की सीधी प्रवर्तनीयता न्यायालय की डिक्री की भांति कर दी गयी है। परन्तु माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम , 1996 में पंचाट के विरुद्ध सीधे अपील की व्यवस्था नहीं की गयी है। इसीलियेपंचाट से प्रभावित या पीड़ित पक्षकार को विशिष्ट रूप से उपचार या अवलम्ब के रूप में इस अध्याय का सृजन किया गया है। इसमें एकमात्र धारा 34 का उपबन्ध है, जिसका शीर्षक है 'माध्यस्थम्पंचाट को अपास्त करने के लिये आवेदन-पत्र"अपास्त' या 'Setting aside' शब्द का प्रयोग न्यायालयीन अपीलों के निस्तारण में भी किया जाता है, तथापि धारा का शीर्षक 'अपील' नहीं रखा गया है। इसके दो कारण है-पहला कारण है कि माध्यस्थम् अधिकरण न्यायालयीन श्रृंखला में सम्बद्ध नहीं है। दूसरा कारण यह है कि अपीलीय न्यायालय के द्वारा अपीलों के निस्तारण में तथ्य एवं विधि के गुण-दोष पर विचार किया जाता है। परन्तु जब कोई न्यायालय पंचाट के विरुद्ध उपचार अथवा अवलम्ब प्रदान करेगी , तो उसके लिये विशिष्ट रूप से धारा 34 (2) के अन्तर्गत उल्लिखित आधारों पर विचार करने तक ही सीमित रहेगा। भले ही नये अधिनियम की व्यवस्था में अब सकारण पंचाट (Reasonal award) की अनिवार्यता को वैध पंचाट की वांछित अपेक्षाओं में सम्मिलित किया गया है। फिर भी पंचाट की पवित्रता व वैधता की जांच न्यायालय द्वारा केवल इसी धारा 34 में ही की जासकेगी

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

प्रश्न ३ मध्यस्थमपंचाट को अपास्त करने के लिये आवेदन सुनने को कौन ससक्त है क्यामध्यस्थमपंचाट को न्याय्लय कि एक अपास्ति कि भाँती लागू किया जा सकता है

उत्तर ३ . माध्यस्थम्पंचाट को अपास्त करने के लिये आवेदन-पत्र-(1) एक माध्यस्थम्पंचाट के विरुद्ध एक न्यायालय का अवलम्ब उपधारा (2) और उपधारा (3) के अनुसार इस प्रकार के पंचाट को अपास्त करने के लिये केवल एक आवेदन-पत्र द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। (2) एक माध्यस्थम्पंचाट को न्यायालय द्वारा केवल तभी अपास्त किया जा सकेगा , यदि(क) आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने वाला पक्षकार इस सबूत की आपूर्ति करता है, कि

(i) एक पक्षकार किसी असमर्थता के अधीन था ; (ii) माध्यस्थम् करार, उस विधि के अधीन विधिमान्य नहीं है जिसके पक्षकार इसके विषय बन

गये हैं, या तत्समय प्रवृत्त होने वाली विधि के अधीन उस पर किसी उपदर्शन के असफल हो

जाने पर; या (iii) आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को एक मध्यस्थ की नियुक्ति या माध्यस्थम् कार्यवाही

की उचित नोटिस दी गयी थी , या अन्यथा उसके मामले को प्रस्तुत करने में असमर्थ हो गया;

या (iv) माध्यस्थम्पंचाट, माध्यस्थम् की शर्तों के भीतर न असफल होकर या न अनुध्यातकिये गये

विवाद के साथ संव्यवहार करता है या वह माध्यस्थम् के निवेदन के विस्तार के परे मामले

पर विनिश्चयों को अन्तर्विष्ट करता है; परन्तु, यदि माध्यस्थम् को निवेदित किये गये मामलों पर विनिश्चय, केवल इस प्रकार से प्रस्तुत न किये गये उन सभी निवेदनों से

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

पृथक् किया जा सकता है, तो उस माध्यस्थम्पंचाट का वह भाग जो माध्यस्थम् को न भेजे गये मामलों पर विनिश्चय को अन्तर्विष्ट करता है , कि अपास्त किया जा सकेगा; या

(v) माध्यस्थम् अधिकरण या माध्यस्थम् प्रक्रिया की संरचना पक्षकारों के अनुसार नहीं था, जब

तक ऐसा करार इस भाग के प्रावधान के विरुद्ध था जिससे पक्षकारगण अल्पीकरण नहीं कर

सकता है, या ऐसे करार का असफल हो जाना इस प्रावधान के अनुसार नहीं था ; या (ख) न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है , कि(i) विवाद की विषय-वस्तु तत्समय प्रवृत्त होने वाली विधि के अधीन, निपटारा करने की

सामर्थ्य नहीं होती है; या । (ii) माध्यस्थम्पंचाट भारत की लोक-नीति के विरुद्ध है। - स्पष्टीकरण-उपखण्ड (ii) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ही यह एतद्द्वारा किसी भी सन्देह को दूर करने के लिये घोषणा की जाती है कि एक पंचाट लोक-नीति के विरुद्ध है यदि पंचाट का बनाना कपट या भ्रष्टाचार द्वारा उत्प्रेरित या प्रभावित किया गया या धारा 75 या धारा 81 के उल्लंघन में था।

(3) अपास्त करने के लिये एक आवेदन-पत्र को उस तिथि से तीन महीने व्यतीत हो जाने के पश्चात् पारित नहीं किया जा सकेगा जिस पर उस आवेदन-पत्र को प्रस्तुत करने वाला पक्षकारमाध्यस्थम्पंचाट को प्राप्त कर चुका था या यदि एक अनुरोध , उस तिथि से धारा 33 के अधीन किया जा चुका था जिस पर माध्यस्थम्पंचाट द्वारा अनुरोध का निस्तारण किया जा चुका था

2. पुराने अधिनियम में पंचाटअपास्त करने का प्रसंग-पुराने (निरसित) माध्यस्थम् अधिनियम के अन्तर्गतपंचाट को अपास्त करने की विधि उस अधिनियम की धारा 30 में उपबन्धित की गयी थी, उसके अन्तर्गत विस्तृत रूप से पंचाट को अपास्त करने के

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

आधारों का उल्लेख किया गया था। उस अधिनियम में पंचाट को अपास्त करने के लिये निम्न आधार प्रावधानितकिये गये थे।

(i) यदि मध्यस्थ अथवा अधिनिर्णायक द्वारा कदाचार किया गया हो या कदाचार का दोषी हो, (ii) माध्यस्थम् कार्यवाही में कदाचार किया गया हो , (iii) माध्यस्थम् के अभाव में पंचाट दिया गया हो, (iv) प्रक्रिया को अवैध घोषित करने के बाद माध्यस्थम् की कार्यवाही की गयी हो, (v) पंचाट अनुचित तरीके से प्राप्त किया गया हो , या (vi) अन्य किसी कारणवश पंचाट अवैध रहा हो। ।

4.पंचाट को अपास्तकिये जाने के आधार (Grounds on which an award can be set aside) –

(i) पक्षकार की असमर्थता (Incapacity of Party) [धारा 34 (2) (क) (i)]-विधि का यह प्रथम सिद्धान्त है कि किसी भी विधिक कार्यवाही में संलग्न पक्षकारों को तत्समय विद्यमान विधि के अन्तर्गत सक्षम होना चाहिये अर्थात् एक अवयस्क या विकृतचित्त व्यक्ति यदि किसी माध्यस्थम् में पक्षकार है, तो वह स्वयं अपने हित की रक्षा करने के लिये अथवा किसी संविदा के अधीन दायित्वाधीन नहीं माना जा सकता। जब तक किसी संरक्षक के द्वारा उसकी ओर से प्रतिनिधित्व न किया गया हो , तब तक किसी अक्षम व्यक्ति को माध्यस्थम्पंचाट से बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसीलियेमाध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम में धारा 9 के अन्तर्गत अक्षम व्यक्तियों के संरक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी कर दिया गया है। यदि माध्यस्थम् करार के अन्तर्गत संरक्षक विहीन अक्षम व्यक्ति पक्षकार होगा तो उस दशा में दिया गया पंचाट उपरोक्त प्रावधान के अन्तर्गतअपास्त योग्य हो जायेगा। यदि किसी अवयस्क की ओर से विधिक प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया होगा , तो वह पंचाट इस प्रावधान के अन्तर्गतअपास्त नहीं किया जा सकेगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राम निवास बनाम बनारसी दास के वाद में अभिनिर्धारित किया है कि पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

होने पर पंचाट बाध्यकारी होगा और विधिक प्रतिनिधि के द्वारा पंचाट को अपास्त करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।

- (ii) करार की अविधिमान्यता (Invalidity of Agreement) [धारा 34 (2) (क) (ii)]- धारा 34 (2) (क) के उपखण्ड (ii) में पंचाट को अपास्त करने के लिये माध्यस्थम् करार की अवैधता भी एक प्रमुख आधार है। यदि माध्यस्थम् करार अविधिमान्य है तो उसके आधार पर किया गया निर्देश और दिया गया पंचाट दोनों अविधिमान्य होगा। यदि माध्यस्थम् करार की वैधता पर कोई प्रश्नचिन्ह हो अथवा किसी संविदा में अन्तर्निहितमाध्यस्थम् खण्ड अविधिमान्य है , तो ऐसी परिस्थिति में माध्यस्थम् की कार्यवाही का संचालन नहीं किया जाना चाहिये , क्योकि करार सम्बन्धी विधिक अपेक्षाओं के सम्बन्ध में|

अभित्यजन की परिकल्पना समीचीन नहीं है। अवैध संविदा के अन्तर्गत अथवा त्रुटिपूर्ण माध्यस्थम् करार अनुक्रम में संचालित माध्यस्थम् कार्यवाही में सम्मिलित होने मात्र से ही पंचाट को वैधता प्राप्त नहीं होगी। संविदा विधि का यह मूल सिद्धान्त है कि माध्यस्थम् करार शून्य होने के कारण वैध पंचाट का आधार नहीं बन सकता।

जहां माध्यस्थम् करार का अस्तित्व विवादास्पद हो तो उसकी चुनौती किसी भी स्तर पर दी जा सकती है। साहाएण्डकम्पनी बनाम ईश्वर सिंह कृपाल सिंह 2 के वाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह सम्प्रेक्षित किया है कि माध्यस्थम् करार या माध्यस्थम्पंचाट के अस्तित्व को चुनौती देने के लिये किसी भी स्तर पर आवेदन-पत्र दिया जा सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी ऐसे मामले में परिसीमा अधिनियम , 1963 के अनुच्छेद 119 (6) के लागू होने से इन्कार किया है। प्रेमसागरचावला बनाम ताराचन्द इसी प्रकार जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय ने भी यह सम्प्रेक्षित किया है कि माध्यस्थम् करार की वैधता को चुनौती देने के लिये कोई समय सीमा नहीं होती।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

माध्यस्थम विधि

भारत संघ बनाम ओम प्रकाश के वाद में उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ ने माध्यस्थम निर्देश की अवैधता को भी पंचाट की वैधता के लिये चुनौती का आधार माना।

(iii) पक्षकार को सूचना (नोटिस) का न दिया जाना (Notice not given to Party) [धारा 34 (2) (क) (iii)]- इस उपखण्ड के द्वारा पंचाट को अपास्त करने के लिये तीन आधारों का संकेत किया गया है

(i) जहां पक्षकार को मध्यस्थ की नियुक्ति की समुचित सूचना नहीं दी गयी थी , या (ii) माध्यस्थम् कार्यवाही की समुचित सूचना प्रेषित नहीं की गयी थी , या (iii) पक्षकार किसी अन्य कारण से अपना मामला प्रस्तुत करने में अक्षम या असमर्थ हो गया था।

PGS National College of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.